न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 106/2016

अपीलांट

1. मोहब्बतसिंह पुत्र बादरसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष, निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
2. हीरसिंह पुत्र बादरसिंह के का.मु.
   2/1 अन्तर कंवर पत्नी हीरसिंह
   2/2 पीन्टाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/3 विक्रमसिंह पुत्र हीरसिंह
   2/4 उषाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/5 दीयाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/6 गुडियाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/7 सूरजपाल सिंह पुत्र हीरसिंह
   2/8 नीताकंवर पुत्री हीरसिंह

   रेस्पोडेन्ट संख्या 2/5 से 2/8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिये माता अन्तरकंवर पत्नी हीरिसिंह तमाम जातियान राजपूत, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भीनमाल तहसील भीनमाल, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भगवानाराम विश्नोई, श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट
2. राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

2/10

मोहब्बतसिंह बनाम सरकार

106/2016

—: निर्णय :—

दिनांक : 21/07/2020

अपीलाण्ट्स की ओर से यह अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2011 बउनवान मोहब्बतसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट्स को जरिये सम्मन तलब किया तथा अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड तलब किया। वकील उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट ने बहस करते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी गांव भीनमाल के पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नंबर 5843 मे से रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि को छोडते हुए शेष भूमि 3.07 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3028 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा में से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन बादरसिंह पुत्र लादसिंह जो अपीलांटगण के पिता थे को किया गया। अपीलांट के पिता का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि का गैर खातेदारी नामांतरकरण तस्दीक किया गया तथा पुराने खसरा नंबर 3028 का नया बट्टा खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही के अनुरेख से इन्द्राज किया गया। उसके पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता का निरन्तर 10 साल से अधिक तक कब्जा काश्त होने के कारण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का इन्द्राज नामातरकरण संख्या 1112 के जरिये दिनांक 06.05.1975 को दिया गया एवं जमाबंदी में अपीलांटगण का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया जो प्रविष्टि द्वितीय सेटलमेंट तक की जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में यथावत रूप से चलती रही। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट की रहवासीय ढाणी व बैरा लंबे समय से बने हुए है। उसके पश्चात द्वितीय सेटलमेट कार्यवाही के दौरान नये खसरा नंबर 5624, 5627, 5846 व 5842 कायम किये गये। द्वितीय सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियो द्वारा पुराने खसरा नंबर 3028/1 की भूमि को पूर्व के राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपीलांटगण के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी, किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

का अवसर दिये अपीलांटगण के खातेदारी अधिकारो को समाप्त करते हुए केवल मात्र खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि 22 बीघा 10 बिस्वा में से दर्ज की गई। वादग्रस्त आराजी कभी भी राजस्थान सरकार के कब्जे में नही रही है। सेटलमेंट कार्यवाही से पूर्व पुराने खसरा नंबर 3028/1 के रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी अपीलांटगण के नाम दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा द्वितीय सेटलमेंट के दौरान अपीलांट के नाम दर्ज न कर पुराने खसरा नंबर 3028/1 में से 3.07 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट के नाम दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। सेटलमेंट अधिकारियो को सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान पुराने राजस्व रेकर्ड को दोहराने का अधिकार था, किन्तु भू–प्रंबध अधिकारियो द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलांट की खातेदारी आराजी को राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज कर दी गई। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी के संबध में पुराने खसरा नंबर 3028 रकबा 6 बीघा 57 बिस्वा भूमि में से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होने का जमाबदी दस्तावेज प्रदर्श–1 पेश किया, जिसमे 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होकर मूल खसरा से बट्टा खसरा नंबर व क्षेत्रफल दर्ज हुआ । प्रदर्श Exp – 2 जमाबंदी सवंत 2028 से 2031 तक में बादरसिंह वल्द लादसिंह खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का गैर खातेदार दर्ज एवं कॉलम संख्या 16 में नामांतरकरण संख्या 1112 दिनांक 06.03.1975 के द्वारा बादरसिंह वल्द लादसिंह के नाम खातेदारी घोषित की गई जाने का उल्लेख किया हुआ है। जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श Exp – 3 में बादरसिंह वल्द लादसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा के रूप में दर्ज की है। जमाबंदी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श Exp – 4 में खातेदार बादरसिंह वल्द लादसिंह कौम राजपूत का नाम खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा का अंकन किया हुआ है। नामांतरकरण संख्या 1112 प्रदर्श Exp – 5 में कॉलम संख्या 5 में कृषक वल्द लादसिंह राजपूत सा. देह गैर खातेदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 14 में 10 साल होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर नामांतरकरण बादरसिंह वल्द लादसिंह राजपूत के नाम खातेदारी का खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का स्वीकृत किया गया है। प्रदर्श Exp – 6 मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नंबर 3028/1 मिन का क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा बताते हुए खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि इस खसरा से बनना बताया गा है तथा पुराने खसरा नंबर 3028 का क्षेत्रफल 32 बीघा 17 बिस्वा से नये खसरा नंबर 5842 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5627 रकबा 4.30 हैक्टेर, खसरा नंबर 5846 रकबा 0.25 हैक्टेर खसरा नंबर 3028 मिने से बनने बताये है। प्रदर्श Exp – 8 जमाबंदी

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

मिलान क्षेत्रफल में अंकित खसरा नंबर 5843 के अलावा सभी खसरा को जुताई हेतु उपयुक्त बताते हुए राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई है। जमाबंदी प्रदर्श Exp – 9 खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज की है। प्रदर्श Exp – 7 अपीलांट द्वारा धारा 136, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पेश राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2005 है जिसमे उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त करने का प्रकरण पेश किया था एंव रेकर्ड दुरूस्ती प्रार्थना पत्र का जवाब तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल द्वारा दिनांक 05.10.2006 को प्रस्तुत किया जो साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उपरोक्त दस्तावेजी सबूतो व अपीलांटगण के मौखिक साक्ष्यो से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि अपीलांटगण के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबर 3028 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा पर सेटलमेंट कार्यवाही से पहले राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। इसके अतिरिक्त Exp – 8 में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 136, 128 भू–राजस्व अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार होना, कब्जा आवंटन की दिनांक से आया हुआ होना, वादग्रस्त भूमि पर रहवासीय ढाणी में कुआ खुदा होना व काश्त आया हुआ होना एवं पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में से 3.07 हैक्टेयर भूमि खातेदारी द्वितीय सेटलमेंट के दौरान अपीलाटगण के नाम दर्ज नहीं की होना स्वीकार किया है एवं तहसीलदार भूमिधारी ने प्रदर्श–8 दस्तावेज के अंत में यह स्वीकार किया है कि उसके नाम खसरा नंबर 5844 रकबा 0.23 हैक्टेर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 5842 में से 0.74 हैक्टेर भूमि कुल क्षेत्रफल 3.07 हैक्टेर की खातेदारी दुरूस्त किया जाना उचित है ऐसी जवाब में स्वीकारोक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजी तथ्यो एव मौखिक साक्ष्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि पूर्णतया विधि विरूद्ध है। अत अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर जैर अपील निर्णय व डिक्री अपास्त फरमाई जावे।

वकील रेस्पोडेन्ट ने अपील में वर्णित तथ्यो का प्रत्युत्तर देते हुए निवेदन किया कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी गांव भीनमाल के पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नंबर 5843 मे से रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि को छोडते हुए शेष भूमि 3.07 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि विधिसम्मत है। वादग्रस्त आराजी राजस्व रेकर्ड में

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

सरकारी खाते में दर्ज है। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट का किसी प्रकार से कोई कब्जा काश्त नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त तथ्यो को ध्यान में रखते हुए जैर अपील आदेश पारित किया गया है। अत अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावे।

वकील उभयपक्ष की बहस पर मनन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन किया गया। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से यह स्पष्ट है कि अपीलांट ने अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष अर्न्तगत धारा 88 188, राजस्थान काश्तकारी अधिनियम के तहत वादग्रस्त आराजी गांव भीनमाल के पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा के नये खसरा नंबर 5843 मे से रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि को छोडते हुए शेष भूमि 3.07 हैक्टेयर के संबध में प्रस्तुत कर खातेदारी घोषित कराने का निवेदन किया, जिस पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। हस्तगत प्रकरण में यह निर्विवाद सत्य है कि वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 3028 रकबा 56 बीघा 7 बिस्वा में से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का आवंटन बादरसिंह पुत्र लादसिंह जो अपीलांटगण के पिता थे को किया गया। अपीलांट के पिता का वादग्रस्त आराजी पर कब्जा काश्त होने के कारण उक्त भूमि का गैर खातेदारी नामांतरकरण तस्दीक किया गया तथा पुराने खसरा नंबर 3028 का नया बट्टा खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का राजस्व नक्शा ट्रेस में लाल स्याही के अनुरेख से इन्द्राज किया गया। उसके पश्चात वादग्रस्त आराजी पर अपीलांट के पिता का निरन्तर 10 साल से अधिक तक कब्जा काश्त होने के कारण गैर खातेदारी से खातेदारी अधिकार का इन्द्राज नामातरकरण संख्या 1112 के जरिये दिनांक 06.05.1975 को दिया गया एवं जमाबंदी में अपीलांटगण का नाम बतौर खातेदार के रूप में दर्ज किया गया जो प्रविष्टि द्वितीय सेटलमेंट तक की जमाबंदी संवत 2035 से 2038 में यथावत रूप से चलती रही। उसके पश्चात द्वितीय सेटलमेट कार्यवाही के दौरान नये खसरा नंबर 5624, 5627, 5846 व 5842 कायम किये गये। द्वितीय सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान भू–प्रबंध विभाग के अधिकारियो द्वारा पुराने खसरा नंबर 3028/1 की भूमि को पूर्व के राजस्व रेकर्ड के अनुसार अपीलांटगण के नाम दर्ज की जानी चाहिये थी, किन्तु सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा अपीलांटगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये अपीलांटगण के खातेदारी अधिकारो को समाप्त करते हुए केवल मात्र खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि 22 बीघा 10 बिस्वा में से दर्ज की गई, जिसका उन्हे कानूनन अधिकार नहीं था। सेटलमेंट कार्यवाही से पूर्व पुराने खसरा नंबर 3028/1 के रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा की खातेदारी अपीलांटगण के नाम दर्ज थी, जिसे सेटलमेंट अधिकारियो द्वारा

राजस्व अपील प्राधिकारी

द्वितीय सेटलमेंट के दौरान अपीलांट के नाम दर्ज न कर पुराने खसरा नंबर 3028/1 में से 3.07 हैक्टेयर भूमि रेस्पोडेन्ट यानि राजस्थान सरकार के नाम दर्ज कर दी। वादग्रस्त आराजी पर अपीलांटगण का सेटलमेंट से पूर्व एवं बाद निरन्तर कब्जा काश्त रहा है। सेटलमेंट अधिकारियो को सेटलमेंट कार्यवाही के दौरान पुराने राजस्व रेकर्ड को दोहराने का अधिकार था, किन्तु भू–प्रंबध अधिकारियों द्वारा बिना किसी सक्षम आदेश के अपीलांट की खातेदारी आराजी को राजकीय सिवाय चक खाते में दर्ज कर दी गई। अपीलांट ने वादग्रस्त आराजी के संबध में पुराने खसरा नंबर 3028 रकबा 6 बीघा 57 बिस्वा भूमि में से 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होने का जमाबदी दस्तावेज प्रदर्श–1 पेश किया, जिसमे 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि आवंटन होकर मूल खसरा से बट्टा खसरा नंबर व क्षेत्रफल दर्ज हुआ। प्रदर्श Exp – 2 जमाबंदी सवंत 2028 से 2031 तक में बादरसिंह वल्द लादसिंह खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा भूमि का गैर खातेदार दर्ज एवं कॉलम संख्या 16 में नामांतरकरण संख्या 1112 दिनांक 06.03.1975 के द्वारा बादरसिंह वल्द लादसिंह के नाम खातेदारी घोषित की गई जाने का उल्लेख किया हुआ है। जमाबंदी संवत 2031 से 2034 प्रदर्श Exp – 3 में बादरसिंह वल्द लादसिंह कौम राजपूत सा. देह खातेदार खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा के रूप में दर्ज की है। जमाबंदी संवत 2035 से 2038 प्रदर्श Exp – 4 में खातेदार बादरसिंह वल्द लादसिंह कौम राजपूत का नाम खसरा नंबर 3028/1 क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा का अंकन किया हुआ है। नामांतरकरण संख्या 1112 प्रदर्श Exp – 5 में कॉलम संख्या 5 में कृषक वल्द लादसिंह राजपूत सा. देह गैर खातेदार दर्ज है एवं कॉलम संख्या 14 में 10 साल होने से खातेदारी अधिकार प्राप्त होने पर नामांतरकरण बादरसिंह वल्द लादसिंह राजपूत के नाम खातेदारी का खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का स्वीकृत किया गया है। प्रदर्श Exp – 6 मिलान क्षेत्रफल में पुराने खसरा नंबर 3028/1 मिन का क्षेत्रफल 22 बीघा 10 बिस्वा बताते हुए खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि इस खसरा से बनना बताया गा है तथा पुराने खसरा नंबर 3028 का क्षेत्रफल 32 बीघा 17 बिस्वा से नये खसरा नंबर 5842 रकबा 2.49 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेयर, खसरा नंबर 5627 रकबा 4.30 हैक्टेर, खसरा नंबर 5846 रकबा 0.25 हैक्टेर खसरा नंबर 3028 मिने से बनने बताये है। प्रदर्श Exp–8 जमाबंदी मिलान क्षेत्रफल में अंकित खसरा नंबर 5843 के अलावा सभी खसरा को जुताई हेतु उपयुक्त बताते हुए राजस्थान सरकार के नाम दर्ज की गई है। जमाबंदी प्रदर्श Exp–9 खसरा नंबर 5843 रकबा 0.57 हैक्टेर भूमि अपीलांट के नाम खातेदारी दर्ज की है। इसके अतिरिक्त प्रदर्श Exp – 7 अपीलांट

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

द्वारा धारा 136, 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम में पेश राजस्व विविध प्रार्थना पत्र संख्या 22/2005 है जिसमे उक्त वादग्रस्त आराजी का रेकर्ड दुरूस्त करने का प्रकरण पेश किया था एंव रेकर्ड दुरूस्ती प्रार्थना पत्र का जवाब तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल द्वारा दिनांक 05.10.2006 को प्रस्तुत किया जो साक्ष्य में प्रदर्शित करवाया है। उपरोक्त दस्तावेजी सबूतो व अपीलांटगण के मौखिक साक्ष्यो से यह तथ्य पूर्णतया साबित है कि अपीलांटगण के पिता का नाम वादग्रस्त आराजी पुराने खसरा नंबर 3028 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा पर सेटलमेंट कार्यवाही से पहले राजस्व रेकर्ड में दर्ज था। इसके अतिरिक्त Exp – 8 में रेस्पोडेन्ट द्वारा धारा 136, 128 भू–राजस्व अधिनियम का जवाब प्रस्तुत किया, जिसके अनुसार पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा का खातेदार होना, कब्जा आवंटन की दिनांक से आया हुआ होना, वादग्रस्त भूमि पर रहवासीय ढाणी में कुआ खुदा होना व काश्त आया हुआ होना एवं पुराने खसरा नंबर 3028/1 रकबा 22 बीघा 10 बिस्वा में से 3.07 हैक्टेयर भूमि खातेदारी द्वितीय सेटलमेंट के दौरान अपीलाटगण के नाम दर्ज नहीं की होना स्वीकार किया है एवं तहसीलदार भूमिधारी ने प्रदर्श–8 दस्तावेज के अंत में यह स्वीकार किया है कि उसके नाम खसरा नंबर 5844 रकबा 0.23 हैक्टेर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 5842 में से 0.74 हैक्टेर भूमि कुल क्षेत्रफल 3.07 हैक्टेर की खातेदारी दुरूस्त किया जाना उचित है ऐसी जवाब में स्वीकारोक्ति है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा उक्त समस्त दस्तावेजी तथ्यो एव मौखिक साक्ष्यो को दरकिनार करते हुए जैर अपील निर्णय व डिक्री पारित की गई है। जो कि हाजा न्यायालय की राय में उचित प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2011 बउनवान मोहब्बतसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट को वादग्रस्त आराजी गांव भीनमाल के खसरा नंबर 5844 रकबा 0.23 हैक्टेर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 5842 में से 0.74 हैक्टेर भूमि कुल क्षेत्रफल 3.07 हैक्टेर का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अपीलांटगण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज किया जावे। रेस्पोडेन्टगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे। तदानुसार डिक्री पर्चा जारी हो। इस निर्णय की प्रमाणित प्रतिलिपी के साथ अधीनस्थ न्यायालय का रेकर्ड लौटाया जावे।

राजस्व अपील प्राधिकारी
झालावाड़

मोहब्बतसिंह बनाम सरकार

106/2016

यह निर्णय आज दिनांक 21/07/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोनिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

पीठासीन अधिकारी : बृजमोहन नोगिया, आर.ए.एस.

अपील संख्या : 106/2016

अपीलांट

1. मोहब्बतसिंह पुत्र बादरसिंह जाति राजपूत उम्र 60 वर्ष, निवासी भीनमाल तहसील भीनमाल जिला जालोर।
2. हीरसिंह पुत्र बादरसिंह के का.मु.
   2/1 अन्तर कंवर पत्नी हीरसिंह
   2/2 पीन्टाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/3 विक्रमसिंह पुत्र हीरसिंह
   2/4 उषाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/5 दीयाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/6 गुडियाकंवर पुत्री हीरसिंह
   2/7 सूरजपाल सिंह पुत्र हीरसिंह
   2/8 नीताकंवर पुत्री हीरसिंह

   रेस्पोडेन्ट संख्या 2/5 से 2/8 नाबालिग जरिये कुदरती वलिये माता अन्तरकंवर पत्नी हीरिसिंह तमाम जातियान राजपूत, निवासी भीनमाल, तहसील भीनमाल जिला जालोर।

बनाम

रेस्पोडेन्टस्

राजस्थान राज्य जरिये भूमिधारी तहसीलदार, भीनमाल तहसील भीनमाल, जिला जालोर।

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955

उपस्थित :–

1. श्री भगवानाराम विश्नोई, श्री पारसमल बराडा विद्वान अभिभाषक अपीलाण्ट राजकीय अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से

परिणाम स्वरूप अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत अपील स्वीकार की जाती है। तथा सहायक कलक्टर भीनमाल द्वारा राजस्व वाद संख्या 12/2011 बउनवान मोहब्बतसिंह व अन्य बनाम तहसीलदार भूमिधारी भीनमाल में पारित निर्णय व डिक्री दिनांक 31.08.2016 को अपास्त किया जाता है एवं अपीलांट को वादग्रस्त आराजी गांव भीनमाल के खसरा नंबर 5844 रकबा 0.23 हैक्टेर, खसरा नंबर 5624 रकबा 2.10 हैक्टेर एवं खसरा नंबर 5842 में से 0.74 हैक्टेर भूमि कुल क्षेत्रफल 3.07 हैक्टेर का खातेदार घोषित किया जाता है। तद्नुसार अपीलांटगण का नाम राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदार दर्ज

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

किया जावे। रेस्पोडेन्टगण अपीलांटगण के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलदांजी न करे।

यह निर्णय आज दिनांक 21/07/2020 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर बाद हस्ताक्षर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(बृजमोहन नोगिया)
राजस्व अपील प्राधिकारी, पाली

राजस्व अपील प्राधिकारी
पाली

कम्प्यूटर निर्णय
लेखन कर्ता ई०